न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ताखल
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 07/17

निर्णय दिनांक :–07.06.2

1. प्रकाश कंवर पत्नि मदनसिहं जाति चारण निवासी ग्राम सांझासर तहसील शेखावाटी जिला सीकर (राज.)।

.............प्रार्थी

बनाम

1. बन्नेसिहं पुत्र गोपालदान जाति चारण निवासी ग्राम सिंगोदडी तहसील लक्ष्मणगढ सीकर हॉल आबाद ग्राम ताखलसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर।
2. दीप कंवर पत्नि स्व0 भागीरथ सिहं
3. महीपाल सिहं पुत्र भागीरथ सिहं
4. जयदीप सिहं पुत्र भागीरथ सिहं
5. कुलदीप सिह पुत्र भागीरथ सिहं
6. संतोष कंवर पुत्री भागीरथ सिहं
7. मीरा कंवर पुत्री भागीरथ सिह समस्त जाति चारण निवासी ग्राम ताखलसर तह रामगढ शेखावाटी जिला सीकर।
8. शारदा कंवर पत्नि गोपाल सिहं जाति चारण निवासी ग्राम कल्यारणपुरा तह डीडवाना जिला नागौर राज0 हॉल आबाद ग्राम ताखलसर तहसील रामगढ जि सीकर ।
9. बरजू कंवर पत्नि गोरखदान जाति चारण ग्राम कल्याणपुरा तहसील डीडवाना जि नागौर राज0 हॉल आबाद ग्राम ताखलसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर।
10. तहसीलदार तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
11. पटवारी हल्का ताखलसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0।

.........अप्रार्थीग

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) रा.का. अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर (पुराना) 14, (नया) 78 कुल रकबा 6.51 है0 वाके ग्राम ताखलसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर मे अवस्थित है जिसमे से 3.600 है0 भूमि की खातेदार काबिज काश्तकार आवेदिका है जिसके नाम उक्त भूमि का खाता बना हुआ है।

अप्रार्थीण संख्या 01 ता 09 आराजी नवीन खसरा नम्बर 76 रकबा 3.30 है0 व खसरा नम्बर 67 रकबा 5.81 है0 वाके ग्राम ताखलसर तहसील रामगढ शेखावाटी के खातेदार काबिज काश्तकार है जिनके नाम उक्त भूमि का खाता बना हुआ है।

आवेदिका खसरा नम्बर नया 78 कुल रकबा 6.51 है0 वाके ग्राम ताखलसर मे से 3.600 है0 भूमि की खातेदार काबिज काश्तकार है तथा आवेदिका उक्त कृषि भूमि मे अपने उक्त हिस्से मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 67 के पश्चिम मे स्थित कटानी रास्ते जो रामगढ से ग्राम सुण्डा की ढाणी की ओर जाता है से खसरा नम्बर 76 की उत्तरी सीव के सहारे सहारे होकर खसरा नम्बर 78 की पश्चिमी सीवं मे प्रवेश करने वाले 15 फीट चौडे

भूमि को क्रय करने के दिवस से निरंतर निर्बाध, शांतिपूर्वक तरीके से अपने आवागमन, पशु वाहन आदि लाने ले जाने हेतु उपयोग व उपभोग मे लेते चले आ रहे है। आवेदिका के पास अपने खेत मे आने जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है किंतु अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 09 द्वारा के कतई गलत रूप से बिना किसी वैध हक अधिकार के उक्त रास्ते को बंद करने की धमकिया आवेदिका व उसके परिवारजन को दी जा रही है जिसके अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 09 को कोई हक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 09 उक्त रास्ता बंद कर देने से आवेदिका का पशुधन व खेती नष्ट व बर्बाद हो जावेगी जिससे उसे असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तौर पर संभव नही हो सकेगी।

आवेदिका के खेत मे जाने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है इसलिए आवेदिका को रामगढ से ग्राम सुण्डा की ढाणी की ओर जाने वाले कटानी रास्ते से प्रारम्भ होकर खसरा नम्बर 67 की पश्चिमी सीवं की ओर से प्रवेश करके खसरा नम्बर 76 की उत्तरी सींव के सहारे सहारे चलकर खसरा नम्बर 78 की पश्चिमी सींव मे प्रवेश करने वाले 15 फीट चौडा रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित है। आवेदिका विधि की समस्त शर्तो का पालना करने हेतु तैयार है तथा उक्त रास्ता आवेदिका को दिलाया जाकर उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड मे किये जाने का आदेश अनावेदक संख्या 10 को दिया जाने न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदिका को रामगढ से ग्राम सुण्डा की ढाणी की ओर जाने वाले कटानी रास्ते से प्रारम्भ होकर खसरा नम्बर 67 की पश्चिमी सींव से प्रवेश करके खसरा नम्बर 76 की उत्तरी सींव के सहारे सहारे चलकर खसरा नम्बर 78 की पश्चिमी सींव मे प्रवेश करने वाले 15 फीट चौडा रास्ता उनके व उसके परिवारजन वाहन पशु आदि लाने ले जाने के लिए प्रदान किया जावे तथा इसकी नियमानुसार राशि आवेदिका से अनावेदक संख्या 01 ता 09 को दिलवाने की कृपा करे तथा उक्त रास्ता जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्से मे लाल रंग से दर्शित किया गया है का राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करने हेतु अनावेदक संख्या 10 को आदेश फरमाने की कृपा करे तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 09 को आदेशित फरमाया जावे कि वे उक्त रास्ते को अवरूद्ध नही करे तथा आवेदिका व उसके परिवारजन के उक्त रास्ते से आवागमन पशु वाहन आदि लाने ले जाने व उनके उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 व 06 ता 11 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नही आने पर उक्त विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई।

तहसीलदार रामगढ ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि मुताबिक जमाबन्दी ग्राम ताखलसर खसरा नम्बर 67 व 76 की खातेदारी दीपकंवर पत्नि भागीरथ दान महिपालसिहं जयदीप कुलदीप पि0 भागीरथदान प्रकाश संतोष मीराकंवर पुत्रिया भागीरथ दान हिस्सा 1/6 बन्ने सिह पुत्र गोपालदान हिस्से 1/6 सा. सींगोदडी तहसील लक्ष्मणगढ शारदा कंवर पत्नि गोपालसिहं हिस्सा 1/2 जाति चारण नि. कल्याणपुरा तहसील डीडवाना बरजूकंवर पत्नि गोरखदान हिस्सा 1/6 तहसील डीडवाना खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 78 रकबा 6.51 है0 की खातेदारी प्रकाशकंवर पत्नि मदनसिहं चारण नि. सांझासर रकबा 3.60 है0 मोतीराम पुत्र सागरमल जाति कुम्हार सा. रामगढ रकबा 2.91 है0 दर्ज है। वर्तमान मे खसरा नम्बर 78 मे आवागमन हेतु खसरा नम्बर 179 मे से उतरी सीमा के सहारे पश्चिमी की ओर एक रास्ता/पगडण्डी मौके पर बनी हुई है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये नवीन रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 78 मे आवागमन हेतु खसरा नम्बर 179 की उतरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम पगडण्डी है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया नवीन रास्ता संलग्न नक्से मे बिन्दु 'ए' से 'डी'

ता खसरा नम्बर 78 की उतरी पूर्वी कोने से बिन्दू 'ई' से 'एफ' तक की दूरी 118 मीटर है कि न्यूनतम/लघुतम है। आवेदक द्वारा चाहे गये नवीन रास्ते की लम्बाई 364 मीटर व चौडाई 4.57 मीटर(15 फुट) कुल क्षेत्रफल 1663.48 वर्ग मीटर है। खसरा नम्बर 67 एवं 76 जिसमे से नवीन रास्ता चाहा गया है की किस्म खसरा नम्बर 67 की चाही 3 एवं खसरा नम्बर 76 की बारानी 2 दर्ज है। डी.एल.सी दर राजस्व रिकॉर्ड चाही 3 की 2,31,874/- प्रति हैक्टेयर व बारानी की 1,53,699/- प्रति हैक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ते मे खसरा नम्बर 76 मे एक पेड रोहिडा व दो पेड खेजडी के है तथा अन्य कोई स्ट्रक्चर नही है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कार्ट ताखलसर मे पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 व 05 स्वयं हाजिर। पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ शेखावाटी से स्पष्ट है कि प्रार्थिया हमेशा से अपने खेत खसरा नम्बर 78 मे आवागमन खसरा नम्बर 179 की उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिमे बनी रास्ता/पगडण्डी से करती आ रही है, जो आज भी मौके पर चालु स्थिति मे। प्रार्थिया का खसरा नम्बर 67 व 76 मे से कभी भी आना जाना नही रहा। प्रार्थिया द्वारा चाहा गया रास्ता बिन्दू 'ए' से 'डी' कुल दूरी(लम्बाई) 364 मीटर है जबकि खसरा नम्बर 179 की उत्तरी पूर्वी कोने से बिन्दू 'ई' से 'एफ' तक की दूरी 118 मीटर है, जो लघुतम/न्यूनतम है। अर्थात प्रार्थिया के खेत खसरा नम्बर 78 मे आवागमन बाबत अन्य वैकल्पित रास्ता है जो चाहा गया रास्ते से काफी कम दूरी एवं सुविधाजनक है। प्रस्तावित रास्ता मे खसरा नम्बर 76 मे एक पेड रोहिडा व दो पेड खेजडी के है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया को अपने खेत ख. नं. 78 वाके ग्राम ताखलसर में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 67 व 76 वाके ग्राम ताखलसर मे से चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त एक अन्य रास्ता खसरा नम्बर 179 वाके ग्राम ताखलसर मे से मौके पर मौजूद है। खसरा नम्बर 67 व 76 मे से प्रार्थिया द्वारा चाहा गया रास्ता की लम्बाई 364 मीटर है जबकि खसरा नम्बर 179 मे उतरी सीमा के सहारे सहारे पश्चिम की ओर रास्ते की लम्बाई मात्र 118 मीटर है जो काफी न्यूनतम/लघुतम है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रा. का. अधिनियम खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थिया प्रकाश कंवर पत्नि मदनसिहं जाति चारण निवासी ग्राम सांझासर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.) का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रा.का. अधिनियम प्रमाणित नही होने से खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 07.06.2018 को कैम्प कोर्ट ताखलसर मे खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रेणू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढशेखावाटी(सीकर)